"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013—भाद्र 15, शक 1935

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक 8515/2595/XXI-B/C.G./2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख) "समिति" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया के अधीक्षण के लिए मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय का एक या एक से अधिक न्यायाधीशों की एक समिति;"

2. नियम 2 के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;"

3. नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द, अंक एवं हाइफन "रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"रुपये 27,700-770-33,090-920-40,450-1080-44,770"

4. नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में, शब्द, अंक, हाइफन एवं अल्पविराम "रुपये 10,750-300-13150-350-14,900" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"रुपये 33,090-920-40,450-1080-45,850"

5. नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में, शब्द, अंक, हाइफन एवं अल्पविराम "रुपये 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010"

6. नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में, शब्द, अंक, हाइफन एवं अल्पविराम "रुपये 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010"

7. नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में, शब्द, अंक, हाइफन एवं अल्पविराम "रुपये 14,200-350-15,950-400-18,350" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"रुपये 43,690-1080-49,090-1230-56,470"

8. नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) में, शब्द, अंक, हाइफन एवं अल्पविराम "रुपये 16,750-400-19,150-450-20,500" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"रुपये 51,550-1230-58,930-1380-63,070"

9. नियम 5 के उप-नियम (1) में, शब्द "समिति" के स्थान पर, शब्द "आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

10. नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रथम परंतुक में, शब्द "समिति द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से" के स्थान पर "आयोग द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार के परामर्श से" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये.

11. नियम 5-क के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"5-ख. **आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार करने के पश्चात्, आयोग, अभ्यर्थियों की ऐसी संख्या, जिसने आयोग की राय में ऐसे न्यूनतम अंक अर्जित किये हों, जैसा कि इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये, को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा.

(2) किन्हीं नियमों अथवा आदेश में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, आयोग, उप-नियम (1) के अंतर्गत आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय के एक आसीन न्यायाधीश को आमंत्रित करेगा तथा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में उसके द्वारा दी गई राय की, आयोग द्वारा तब तक अवहेलना नहीं की जायेगी जब तक कि राय को स्वीकार न करने का मजबूत और ठोस कारण न हो, जिसके लिए आयोग द्वारा कारणों को लिखित में दर्ज (लेखबद्ध) किया जाना आवश्यक होगा.

(3) आयोग, उनकी दक्षता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करेगा जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिये गये कुल अंक दर्शित होंगे :

परंतु यह कि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल बराबर अंक अभिप्राप्त करने पर, अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम, ऊपर रखा जायेगा :

परंतु यह और कि यदि कुल समान अंक अभिप्राप्त करने वाले समान आयु के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी हों तो, अभ्यर्थी, जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक अभिप्राप्त किया हो, का नाम ऊपर रखा जायेगा."

12. नियम 9 में, शब्द "समिति" के स्थान पर, शब्द "आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

13. नियम 10 के उप-नियम (1) में, शब्द "समिति" के स्थान पर, शब्द "आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

14. अनुसूची-एक के भाग (क) के सरल क्रमांक (9) में, शब्द "आवास नियंत्रण अधिनियम" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 6th September 2013

NOTIFICATION

No. 8515/2595/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with High Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public Service Commission the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. For clause (b) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :—

"(b) "Committee" means a committee consisting one or more judges of the High Court nominated by the Chief Justice for supervision of recruitment process conducted by the Commission."

2. After clause (b) of Rule 2, the following shall be inserted, namely :—

"(bb) "Commission" means Chhattisgarh Public Service Commission."

3. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3, for the letters, figures, hyphen and comma "Rs. 9,000-250-10,750-300-13,150-350-14,550", the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770"

4. In clause (b) of sub-rule (1) of Rule 3, for the letters, figures, hyphen and comma "Rs. 10,750-300-13,150-350-14,900", the following shall be substituted, namely :—

"Rs 33,090-920-40,450-1,080-45,850"

5. In clause (c) of sub-rule (1) of Rule 3, for the letters, figures, hyphen and comma "Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550", the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010"

6. In clause (a) of sub-rule (2) of Rule 3, for the letters, figures, hyphen and comma "Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550", the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010"

7. In clause (b) of sub-rule (2) of Rule 3, for the letters, figures, hyphen and comma "Rs. 14,200-350-15,950-400-18,350", the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 43,690-1,080-49,090-1,230-56,470"

8. In clause (c) of sub-rule (2) of Rule 3, for the letters, figures, hyphen and comma "Rs. 16,750-400-19,150-450-20,500", the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070"

9. In sub-rule (1) of Rule 5, for the word "Committee", the word "Commission" shall be substituted.

10. In first proviso to sub-rule (1) of Rule 5, for the words "Committee in consultation with the High Court", the words "Commission in consultation with the High Court and the State Government" shall be substituted.

11. After Rule 5-A, the following shall be inserted, namely :—

"5-B. **List of candidates approved by the Commission.—**

(1) After the result of written examination is prepared, the Commission shall call for interview such number of candidates, who in the opinion of the Commission have secured minimum marks as may be fixed by the Commission in this respect.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any rules or orders, the Commission shall invite a sitting Judge of the High Court to be nominated by the Chief Justice to participate in the interview of the candidates called under sub-rule (1) and opinion given by him with regard to the suitability of the candidates shall not be disregarded by the Commission unless there are strong and cogent reasons for not accepting the opinion for which reason must be recorded in writting by the Commission.

(3) The Commission then shall prepare a final list of selected candidates in order of their proficiency as disclosed by aggregate of marks finally awarded to each candidate in the written examination and the interview;

Provided that if two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate being elder in age, shall be placed higher;

Provided further that if two or more candidates of equal age obtained equal marks in aggregate, the name of the candidate, who has obtained higher marks in the written examination, shall be placed higher."

12. In Rule 9, for the word "Committee", the word "Commission" shall be substituted.

13. In sub-rule (1) of Rule 10, for the word "Committee", the word "Commission" shall be substituted.

14. In Serial No. (9) of Part (a) of Schedule-1, for the words "Accommodation Control Act", the words "The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.